

कार्यालय- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (मा०शि०) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./

84

/3क(2)/नियुक्ति/2016-17/दिनांक 10/05/16

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में गिहित प्राविधानों के अन्तर्गत सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के विज्ञापन संख्या-5600 /उप्राधिप / एल०सी०मर्ती / 2014 दिनांक 23-02-2014 (यथासंशोधित) के क्रम में निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक संख्या- सेवा-2 /709-11 /2016-17 दिनांक 11-04-2016 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के पत्रांक संख्या-7111 /उप्राधिप / एल०सी०मर्ती /2016-17 दिनांक 02-05-2016 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को स्नातक वेतनक्रम (वेतन बैंड: 9300-34800, ग्रेड वेतन: 4600) में सहायक अध्यापक एल.टी. (संस्कृत) के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-8 में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी और किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

विषय: संस्कृत

शाखा: सामान्य

क्र० सं.	अभ्यर्थी का नाम / पिता / पति का नाम एवं पता	जन्म तिथि	गृह जनपद	जाति	उपश्रेणी	लिखित परीक्षा गुणांक	पदस्थापित विद्यालय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अजय सिंह पुत्र श्री धन सिंह धाम - बेथरा पो. - लोवला वि०ख० धराली चमोली - 246453	15-05-1984	चमोली	सामान्य	-	156	रा०उ०मा०वि० खोजा कड़ाकोट, धीरिनगर, टिहरी
2	समस्तरूप कुलियाल पुत्र श्री भवानन्द कुलियाल धाम-बीरपुर पशुलोक बीरभद्र रोड अधिकेश -249202	22-07-1986	टिहरी	सामान्य	-	148	रा०उ०मा०वि० क्यार्क बरसूडी, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग
3	रूपा सोमर पुत्री श्री सुदर्शन कुमार धाम- जमीरनजट मंगलौर, हरिद्वार- 247656	20-03-1986	हरिद्वार	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	146.75	रा०इ०का० कार्तिया रिखणीखाल, पीडी गढ़वाल
4	नीतू सिंह पुत्री श्री शिववक्स सिंह धाम- बालावाला, रेलवे रोड, देहरादून - 248001	11-06-1986	देहरादून	सामान्य	महिला	145.25	रा०इ०का० रिखणीखाल, रिखणीखाल, पीडी गढ़वाल
5	अमित सेमवाल पुत्र श्री दौलतराम धाम- तियांकलीगी नौगांव उत्तरकाशी- 249171	05-07-1990	उत्तरकाशी	अन्य पिछड़ा वर्ग	-	140.75	रा०उ०मा०वि० पालाकुराली जखोली, रुद्रप्रयाग
6	वीना सनी पुत्री श्री गुरुप्रसाद पेटवाल धाम-जामुनवाला पो-घघोडा देहरादून-248001	17-10-1988	देहरादून	सामान्य	महिला	137.75	रा०इ०का० केशरधर मैचोली, यम्बा, टिहरी
7	नारती पुत्री श्री सुन्दर लाल धाम- निकट रोड: पील चर्च बाबूगढ़ विकासनगर देहरादून - 248198	18-06-1986	देहरादून	अनु०जा०	महिला	104	रा०इ०का० राजगढ़ी नौगांव उत्तरकाशी

(रामकृष्ण जनियाल)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (मा०शि०) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 84 /3क(2)/नियुक्ति/2016-17/दिनांक 10/05/16

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सविध प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के विज्ञापन संख्या-5690 /उप्राशिप / एल०टी०मर्ती / 2014 दिनांक 23-02-2014 (यथासंशोधित) के क्रम में निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक संख्या- सेवा-2 /709-11 /2016-17 दिनांक 11-04-2016 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में सविध प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के पत्रांक संख्या-7111 /उप्राशिप / एल०टी०मर्ती /2016-17 दिनांक 02-05-2016 द्वारा प्राप्त परीयता सूची के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को स्नातक वेतनक्रम (वेतन बैंड: 9300-34800 ग्रेड वेतन: 4600) में सहायक अध्यापक एल.टी. (संस्कृत) के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-8 में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीपिक्षाधीन रहेगी और किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

विषय: संस्कृत

शाखा: सामान्य

क्र० सं.	अभ्यर्थी का नाम / पिता / पति का नाम एवं पता	जन्म तिथि	गृह जनपद	जाति	सुपश्रेणी	लिखित परीक्षा गुणांक	पदस्थापित विद्यालय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अजय सिंह पुत्र श्री धान सिंह ग्राम-बेधत पोस्ट - लोदला वि०ख० धराली चमोली - 246453	15-05-1984	चमोली	सामान्य	-	158	रा०उ०मा०वि० खोला कडाकोट, जीतिनगर, टिहरी
2	रामरूप कुलियाल पुत्र श्री भवानन्द कुलियाल ग्राम-वीरपुर पशुलोक वीरभद्र रोड ऋषिकेश -249202	22-07-1906	टिहरी	सामान्य	-	148	रा०उ०मा०वि० क्वार्क बरभूटी, अमरत्यगुनि, रुद्रप्रयाग
3	रुपा लोभर पुत्री श्री सुदर्शन कुमार ग्राम-जमीरगजट मंगलौर, हरिद्वार-247656	20-03-1986	हरिद्वार	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	146.75	रा०इ०का० कर्तिया रिखणीखाल, पौड़ी गढ़वाल
4	नीतू सिंह पुत्री श्री शिववक्त्र सिंह ग्राम-बालावाला, रेलवे रोड, देहरादून - 248001	11-06-1986	देहरादून	सामान्य	महिला	145.25	रा०इ०का० रिखणीखाल, रिखणीखाल, पौड़ी गढ़वाल
5	अमित रोगवाल पुत्र श्री दीजतराम ग्राम-तियांकलोगी नीगागव उत्तरकाशी-249171	06-07-1990	उत्तरकाशी	अन्य पिछड़ा वर्ग	-	140.75	रा०उ०मा०वि० पालाकुशली, जखोली, रुद्रप्रयाग
6	दीना रानी पुत्री श्री गुरुप्रसाद पेटवाल ग्राम-जामुनवाला पोस्ट-घघोला देहरादून-248001	17-10-1988	देहरादून	सामान्य	महिला	137.75	रा०इ०का० कैरखार नैचोली, कथा, टिहरी
7	भारती पुत्री श्री सुन्दर लाल ग्राम-निकट सेण्ट पील वर्ग बाबूगढ़ विकासनगर देहरादून - 248198	18-06-1986	देहरादून	अनु०जा०	महिला	104	रा०इ०का० राजगढ़ी नैगोंद उत्तरकाशी

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
10/5/2016
(रामकृष्ण कुनियाल)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

तल्लिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद।
5. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा कुमाउं नण्डल नैनीताल।
6. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा0)।
8. सम्बन्धित विल्ल एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
9. सम्बन्धित वरिष्ठ कौषाधिकारी / कौषाधिकारी।
10. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
11. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।

12. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी का विषय संयोजन उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में संस्कृत विषय हेतु विहित अहंता (विद्यालयी शिक्षा की वेब साईट पर उपलब्ध है) के अनुरूप न हो / सम्बन्धित अभ्यर्थी यू0टी0ई0टी0-2 अथवा सी0टी0ई0टी0-2 उत्तीर्ण न हो / प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त न हो / अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01-01-2014 को 21 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक हो तो अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी को कदापि कार्यभार ग्रहण न कराया जाय साथ ही सम्बन्धित अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी के मूल अभिलेखों / शैक्षिक तथा प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियां अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें। किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये तथा सम्बन्धित के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उसी दिन पंजीकृत डॉक से अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निम्न प्रारूप पर उपलब्ध करायी जाय।

प्रमाण पत्र

मैं (संस्थाध्यक्ष का नाम) पदनाम विद्यालय का नाम

एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा सम्बन्धित अध्यापक के समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की भलीभाँति जाँच कर ली गयी है तथा समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं। तदोपरान्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी श्री / श्रीमती / कु0 पद विषय को दिनांक के पूर्वान्ह / अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा दिया है।

ह0संस्थाध्यक्ष

नाम-


पदनाम एवं सील

13. सम्बन्धित अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के निर्गत होने के 15 दिन के अन्तर्गत अपने तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो वह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा सम्बन्धित संस्था प्रधान के सममुख नियुक्ति आदेश के साथ अपने समस्त शैक्षिक / अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो सेट प्रमाणित छायाप्रति), स्वयं के दो पारामोर्ट साइज के दो प्रमाणित फोटो, मुख्य विकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र अन्य आरक्षित श्रेणी होने की दशा में वांछित प्रमाण-पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन करने की तिथि से पूर्व का पंजीकरण / नवीनीकरण प्रमाण-पत्र, अन्तिम संस्था जहाँ से शिक्षा प्राप्त की हो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, विवाहित होने की स्थिति में एक ही जीवित पत्नी / पति होने का प्रमाण-पत्र, रांध / राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण-पत्र एवं इस आशय की घोषणा पत्र कि " मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी अपराधिक मामला विचारार्थ नही है और न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है", का प्रमाण-पत्र संस्थाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा।


Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

नोट- किसी भी अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी के शैक्षिक / प्रशिक्षण / जाति एवं अन्य प्रमाण-पत्रों का शौचिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति / अनियमितता पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण हेतु कोई मान्य व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी कार्यभार ग्रहण-करने के समय इस आशय का अनुबन्ध पत्र भी निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा। (पंजीकृत)

14. कार्यालय प्रति।


(रामकृष्ण अनियाल)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)


गढ़वाल मण्डल प्रौढी।

अनुबन्ध-पत्र

मैं अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी का नाम.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.....
सहायक अध्यापक, विद्यालय का नाम.....एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त
शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा / करूंगी एवं अपने रागे सम्बन्धियों के माध्यम से स्थानान्तरण हेतु
आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा / करूंगी।

80

नाम-

पदनाम एवं विद्यालय का नाम

प्रतिहस्ताक्षरित

होएवं शील संस्थाध्यक्ष

कार्यालय- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (मा०शि०) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 85 /3क(2)/नियुक्ति (10 प्रति.)/2016-17/दिनांक 10/05/16

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 के नियम-5(3) में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत सेवा नियमावली के नियम 8 के प्रावधानानुसार राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों को विभागीय लिखित परीक्षा हेतु विषयवार अक्यारित 10 प्रतिशत पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद के विज्ञापन दिनांक 23.02.2014 के आधार पर लिखित परीक्षा के माध्यम से चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को स्नातक वेतनक्रम (वेतन बैंड: 9300-34800, ग्रेड वेतन: 4600) में सहायक अध्यापक एल.टी. (संस्कृत) के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-8 में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी और किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

विषय: संस्कृत

शाखा: सामान्य

क्र० सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि/ मूठ जनपद	जाति	उपश्रेणी	कार्यरत विद्यालय का नाम	पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गणवती प्रसाद भट्ट	श्री टीकाराम भट्ट	01-09-1972 रुद्रप्रयाग	सामान्य	-	रा०प्रा०वि०जवाड़ी, जखोली, रुद्रप्रयाग	रा०इ०का०रा०सामाग्र, जखोली, रुद्रप्रयाग	रिक्त पद के प्रति

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)
 (रामकृष्ण अभियाल)
 मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
 गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृस/सेवा अराज/ 2800-18 /3क(2)/नियुक्ति (10 प्रति.)/2016-17/दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि - निम्नांकित को शृघनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, देहरादून।
6. मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
7. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
9. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
10. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा०/बे०)।
11. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
12. सम्बन्धित वरिष्ठ लोकाधिकारी।
13. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उपशिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)।
14. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को द्वारा निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित नियुक्त अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार मुक्त/ग्रहण करने से पूर्व उनके सेवा अभिलेखों एवं समस्त शैक्षिक/प्रशासनिक प्रमाण पत्रों का मती-मौति परीक्षण कर ले, तत्पश्चात ही कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। किसी प्रकार की त्रुटि अथवा परिवर्तन की दशा में तत्काल इस कार्यालय को अवगत करावें।

(Handwritten signatures)

कार्यालय- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (मा०शि०) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 86 /3क(2)/नियुक्ति/2016-17/दिनांक 10/05/16


विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली 2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के विज्ञापन संख्या- 5600 /उप्राशिप / एल०टी०भर्ती / 2014 दिनांक 23-02-2014 (यथाराशोधित) के क्रम में निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक संख्या- सेवा-2 /709-11 /2016-17 दिनांक 11-04-2016 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के पत्रांक संख्या-7111 /उप्राशिप / एल०टी०भर्ती /2016-17 दिनांक 02-05-2016 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को स्नातक वेतनक्रम (वेतन बैंड 9300-34800, ग्रेड वेतन: 4600) में सहायक अध्यापक एल.टी. (संस्कृत) के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-8 में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी और किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

विषय: संस्कृत

शाखा: महिला

क्र० सं.	अभ्यर्थी का नाम / पिता / पति का नाम एवं पता	जन्म तिथि	गृह जनपद	जाति	उपश्रेणी	लिखित परीक्षा गुणांक	पदस्थापित विद्यालय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पारुल पुत्री श्री दिनेश कुमार लिब्वरडेही रुड़की हरिद्वार - 247858	19-10-1989	हरिद्वार	अन्य निम्न जाति	-	152	रा०क०इ०क० लेन्मडौन, जयपुरीखाल, पौड़ी गढ़वाल


(रामकृष्ण चिनियाल)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृ०स०/सेवा०अराज०-02/ 2819-34 /3क(2)नियुक्ति/2016-17 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद।
5. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
6. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा०)।
8. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
9. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
11. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।

12. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी का विषय संयोजन उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में संस्कृत विषय हेतु विहित अर्हता (विद्यालयी शिक्षा की वेब साईट पर उपलब्ध है) के अनुरूप न हो / सम्बन्धित अभ्यर्थी यू0टी0ई0टी0-2 अथवा सी0टी0ई0टी0-2 उत्तीर्ण न हो / प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्ता न हो/ अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01-01-2014 को 21 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक हो तो अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी को कतपि कार्यभार ग्रहण न कराया जाय साथ ही सम्बन्धित अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी के मूल अभिलेखों / शैक्षिक तथा प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियां अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें। किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये तथा सम्बन्धित के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उसी दिन पंजीकृत डॉक से अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निम्न प्रारूप पर उपलब्ध करायी जाय।

प्रमाण पत्र

मैं (संस्थाध्यक्ष का नाम).....पदनाम.....विद्यालय का नाम.....एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा सम्बन्धित अध्यापक के समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की भौतिक जांच कर ली गयी है तथा समस्त वांछित दरतावेज प्राप्त कर लिए हैं। तदोपरान्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी श्री / श्रीमती / कु0.....पद.....विषय.....को दिनांक.....के पूर्वान्द / अपरान्द में कार्यभार ग्रहण करा दिया है।

H0संस्थाध्यक्ष

नाम-

पदनाम एवं सील

13. सम्बन्धित अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के निर्गत होने के 15 दिन के अन्तर्गत अपने तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा सम्बन्धित संस्था प्रधान के सामुख नियुक्ति आदेश के साथ अपने समस्त शैक्षिक / अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो सैट प्रमाणित छायाप्रति), स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के दो प्रमाणित फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र अन्य आरक्षित श्रेणी होने की दशा में वांछित प्रमाण-पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन करने की तिथि से पूर्व का पंजीकरण / नवीनीकरण प्रमाण-पत्र, अन्तिम संस्था जहाँ से शिक्षा प्राप्ता की हो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, विवाहित होने की स्थिति में एक ही जीवित पत्नी / पति होने का प्रमाण-पत्र, संघ / राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण-पत्र एवं इस आशय की घोषणा पत्र कि " मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी अपराधिक मामला विचारधीन नहीं है और न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है", का प्रमाण-पत्र संस्थाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा।

नोट- किसी भी अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी के शैक्षिक / प्रशिक्षण / जाति एवं अन्य प्रमाण-पत्रों का भौतिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विचंगति / अनियमितता पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण हेतु कोई मार्ग लय देय नहीं होगा। अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी कार्यभार ग्रहण-करने के समय इस आशय का अनुबन्ध पत्र भी निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा। (पंजीकृत)

14. कार्यालय प्रति।

L. K. Singh
10/5/2016

(रामकृष्ण अनियाल)

मण्डलीय अपर निर्देशक.(भा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

अनुबन्ध-पत्र

मैं अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी का नाम.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.....

सहायक अध्यापक, विद्यालय का नाम.....एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि कार्यभार
ब्रह्म करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा / करूंगी एवं अपने रागे सम्बन्धियों
के माध्यम से स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा / करूंगी।

हO

नाम-

पदनाम एवं विद्यालय का नाम

प्रतिहस्तक्षरित

हOएवं शील संरक्षाध्यक्ष